बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

आगामी

का०आ०रा०– स्था०1/आ०2–11/2017 07 पटना, दिनाक– 04 ~~सितम्बर~~, 2018

कार्यालय आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना से प्राप्त आरोप प्रपत्र एवं अनुशंसा के आलोक गे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के का०आ०स० 316 सहपठित ज्ञापांक 2008 दिनाक 12.09.2017 द्वारा मो० परवेज आलम, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा को निलंबित करते हुए इनका गुख्यालय जिला साख्यिकी कार्यालय,दरभंगा गे किया गया है।

2. मो० परवेज आलम पर प्राप्त आरोप के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 2023 दिनांक 15.09.2017 द्वारा आरोप पत्र पर इनसे कारण पृच्छा की मॉग की गयी है। मो० परवेज आलम अपने निर्धारित गुख्यालय गें न तो योगदान दिये न ही अपना स्प्ष्टीकरण समर्पित किये जिसके लिए दिनाक 29 12.2017 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इन्हें निदेशित किया गया।

कंडिका 1 एव 2 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सराकारी सेवक(वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 9(7) मे किये गये प्रावधान के आलोक मे कार्यालय आदेश संख्या 316 सहपठित ज्ञापाक 2008 दिनाक 12.09.2017 द्वारा किए गए निलंबन को अगले चार माह तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापाक– स्था०1/आ०2–11/2017 32 पटना, दिनाक– 04-01-2017

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता रांरक्षण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा एव दरभंगा/ जिला कोषागार पदाधिकारी, नालदा एव दरभगा/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालदा एव दरभगा /श्री रुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु एव गो० परवेज आलम, तदेन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा सम्प्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी राहायक, जिला साख्यिकी कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.1.18

निदेशक

02813 स्था0 1 (03 जनवरी 2018) परवेज आलम